Indian J. Soc. & Pol. 12 (02):117-120: 2025 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2025 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण : सोनभद्र जिले के कर्मा ब्लॉक का एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन

अभय विक्रम[1], नरेश कुमार सोनकर[2]

[1]शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,अमरकण्टक, म0प्र0, भारत
[2]एसोसियेट प्रोफेसर,समाजशास्त्र विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,अमरकण्टक, म0प्र0, भारत

ABSTRACT

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कर्मा ब्लॉक में कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन करना है । भारतीय समाज में पुरुषों के समान ही महिलाओं कि भी सहभागिता है । भारत की कुल आबादी में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं कृषि कार्य में ही संलग्न है । जबकि वही पुरुष वर्ग के लोग कृषि कार्य के अलावा महानगरों में जाकर रोजगार सम्बन्धित अन्य कार्य को भी करते है। जबकि महिलाएं बहुत कम कार्य के सिलसिले से बाहर जाती है । वह पूरे वर्ष गाँवों में ही रहकर के केवल कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य को करती है कृषि से सम्बन्धित कुछ कार्य ऐसे भी है जिन्हें केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जा सकता है। जिन पर महिलाओं का ही एकाधिकार होता है कृषि के क्षेत्र में अब काफी उन्नति आगई है जिसका मुख्य कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति से है जिसकी वजह से पुरुषों के समान महिलाओं को भी कृषि कार्य के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जार रहा है । सरकार का निरंतर प्रयास रहता है की जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जाए गा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है । ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कृषि कार्य में अत्यधिक संलग्न है । वे कृषि कार्य में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करती है।

KEYWORDS: *महिलाएं, सशक्तिकरण, कृषि, वर्चस्व, प्रशिक्षण*

भारतीय समाज व्यवस्था पुरुष प्रधान संरचना पर आधारित है।जिसकी वजह से आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की ज्यादातर महिलाएँ गाँवों में निवास करती है । भारत की कुल लगभग महिला आबादी में से 77 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जिनके आजीविका का मुख्य साधन कृषि है ।विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 38:है जबकि एक अनुमान के अनुसार यह हिस्सेदारी 45.3प्रतिशत के आस पास है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है की महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी अदृश्य श्रमिक बना हुआ है। वे कृषि में अदृश्य मजदूरों की भाती कार्य करती है उन्हें पुरुषों की भाती समान अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है जिसका मुख्य कारण परम्परागत भारतीय समाज में पुरुष प्रधान संरचना का पाया जाना है ।महिलाओं के अधिकारों को लेकर देश के आजादी के पहले तथा आजादी के बाद बहुत से कानून बनाये गये ताकि महिलाओं को पुरुषों की भाती समान अधिकार प्राप्त हो सके। जबकि आज के दौर में भले ही महिलाओं को कानूनी अधिकार मिले है । लेकिन सामाजिक अधिकार महिलाओं को आज भी उचित रूप से नहीं मिल पाया है आज भी भारत जैसे विकासशील देश में भूमि का अधिकतर स्वामित्व पुरुषों के पास ही है जिसका प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज का पाया जाना है । भूमि का स्वामित्व महिला किसानों के पास न होने की वजह से उन्हें किसी भी प्रकार का लोंन आसानी के साथ प्राप्त नहीं हो पाता है । जिसकी वजह से उनकी तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है । सरकार का यह निरंतर प्रयास रहता है की कृषि से सम्बन्धित योजनाओं में कम से कम 30:महिलाओं को शामिल किया जाये ताकी इन योजनाओं का लाभ महिला किसानों को भी प्राप्त हो सके लेकिन महिलाओं में जागरूकता की कमी की वजह से अभी भी बहुत कम से कम महिलाओं की भागीदारी हो पाती है । कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की बात करें तो हम पाते है कि आज भी कृषि के क्षेत्र में भारत में ऐसी भी बहुताय महिलाएँ है जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है लेकिन उनकी भागीदारी कृषि कार्य में अत्यधिक है । कुल 85:महिलाएँ कृषि कार्य में संलग्न है ।कृषि में महिलाएँ संरक्षक की भूमिका निभाती है ।वह पुराने बीजों को संरक्षण प्रदान करती है उदाहरण स्वरूप मध्यप्रदेश की लहरी बाई का नाम आता है जिन्हें (मिलेट क्वीन) कहकर सम्बोधित किया जाता है क्योंकि उन्होंने 150 से अधिक प्रकार के बीजों को संरक्षित किया है । इस लिए यह कहना गलत नहीं होगा की महिलाएँ कृषि बीजों की संरक्षिका है । भारत जैसे विकासशील देशों में यह भी देखा गया है की महिलाएँ कृषि में खेत की जुताई के अलावा कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यों को कुशलता पूर्ण कर पाती है। आज भी महिलाओं से घरेलू क्षेत्र में आर्थिक सलाह तो ली जाती है । लेकिन कृषि से सम्बन्धित सलाह को नहीं स्वीकार्य किया जाता है जिसका मूल कारण महिलाओं का अशिक्षित होना है । कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति

1: Corresponding Author

कृषक स्वामी की न होकर कृषक मजदूर की है । यदि कृषि के क्षेत्र में महिला मजदूरों की बात करें तो हम पाते है की आज भी उनके साथ भेद भाव किया जाता है । आज भी उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी प्रदान की जाती है जिसका मुख्य कारण कृषि कार्य में महिलाओं का पुरुषों की तुलना में कम कुशल होना है यदि वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो हम पाते है की कुल आबादी का लगभग आधी आबादी महिलाओं की है जो की कुल श्रम का 60:योगदान देती है फिर भी महिलाओं को विश्व की औसत आय का 10:प्रतिशत ही प्राप्त हो पाता है ।

आजादी के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत से कानून बनाये गये ताकि भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया जा सके । भारतीय कृषि में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कृषक की न होकर के एक कृषक मजदूर की भाती हो गई है । जो कृषि कार्य में पुरुषों के साथ कार्य तो करती है लेकिन प्रशिक्षण की कमी तथा जागरूकता के अभाव की वजह से कृषि स्वामित्व उनके पास न होकर अधिकतर पुरुषों के पास होता है । कृषि उपज के अधिकारों की बात करें तो हम पाते है की पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी कम प्राप्त होती है । आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ कृषि कार्य में पुरुषों की तुलना में ज्यादातर कृषि कार्य से जुड़ी हुई है कुछ कृषि कार्य ऐसे भी है । जो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जा सकता है और जिस में महिलाओं का ही एकाधिकार होता है । यदि उदाहरण स्वरूप हम धान की रोपाई की बात करें तो हम पाते है की बीना महिलाओं की भागीदारी के धान की रोपाई कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है ।भारत के ज्यादातर भाग में धान कि फसल की पैदावार कि जाती है जिसके उत्पादन में अधिक से अधिक महिला मजदूरों की आवश्यकता होती है । क्योंकि रोपाई से लेकर कटाई तक अत्यधिक महिलाओं की आवश्यकता होती है । आज भी भारत में कृषि के सम्पूर्ण यंत्रों कि सुविधा सम्पूर्ण कृषकों के पास नहीं उपलब्ध है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि ज्यादा से ज्यादा महिला श्रमिकों की आवश्यकता होती है । भारतीय समाज में आज भी ज्यादातर लघु सीमांत किसान है । जिसकी वजह से उनके पास सीमित भूमि है ।वे केवल कृषि कार्य पर ही निर्भर न होकर के पशु पालन, मुर्गी पालन अन्य कृषि से जुड़े कार्य करती रहती है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आय के मुख्य स्रोत होते है। भारत में महिलाओं में शिक्षा का अभाव एवं प्रशिक्षण की कमी यह दर्शाती है की महिलाओं की कृषि में सहभागिता तो पर्याप्त है लेकिन अधिकार की बात करें तो हम पाते है की कृषि कार्य की तुलना में महिलाओं को पशुपालन ,मुर्गी पालन आदि कार्यों के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में अधिक प्रभाव देखा गया है । लोगो के पास कृषि की सीमित भूमि होने कि वजह से लोग अब मिश्रित खेती पर ज्यादा जोर देने लगे है ताकि कम से कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाये । इस प्रकार कि कृषि में मजदूरों की अत्यधिक आवश्यकता होती है । आज भी भारत जैसे विकासशील देशों में पुरुष श्रम की तुलना में महिला श्रम काफी सस्ता है जो एक मुख्य कारण है । महिलाओं की अत्यधिक कृषि में सहभागिता का होना । महिलाएँ कटाई, निराई ,रोपाई जैसे कृषि कार्य को करने में पुरुषों की तुलना में काफी दक्ष होती है । हरित क्रांति के आने की वजह से भारतीय कृषि में अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है । जिसकी वजह से कृषि में काफी सुधार आया है श्वेत क्रांति ने भी भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है जिसका प्रत्यक्ष फायदा महिलाओं को प्राप्त हुआ दिखाई देता है। जो महिलाओं के अधिकार में रहता है जिसका उपयोग महिलाएँ अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग कर पाती है भारत की सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जहाँ की महिलाएं कृषि के सम्पूर्ण कार्य को स्वयं से आसानी के साथ कर पाती है । क्योंकि वे कृषि के आधुनिक तकनीक का प्रयोग बड़े आसानी के साथ कर पाती है वही कृषि के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों की महिलाएं की बात करें तो हम पाते है की जो कृषि में संलग्न है तो केवल कृषि मजदूर की भाती कार्य करती है । वह कृषि के आधुनिक यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाती है जिसकी वजह से उन्हें पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है । महिलाओं का यह भी मानना है की आज भी भारतीय समाज में प्रमुख रूप से ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है । जिसकी वजह से कृषि सम्बन्धित ज्ञान पुरुष वर्ग में ही हस्तांतरित होता है । महिलाओं का यह भी मानना है की कृषि सम्बन्धित जानकारी सरकार द्वारा किसानों को गाँव–गाँव में प्रदान की जाती है जो की (फोकस ग्रुप डिस्कसन) के माध्यम से किसानों को आमनें–सामने बैठाकर परिचर्चा की जाती है जिसमें परिचर्चा प्रदान करने वाले व्यक्ति अधिकतर पुरुष वर्ग के व्यक्ति होते है । जो की महिलाओं से बात करने में हिचकिचाते है जिसकी वजह से महिला किसानों के साथ किसी भी समस्या को लेकर वार्तालाप नहीं हो पाता है । जिस वजह से महिलाओं को कृषि से सम्बन्धित जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है । यदि हम गहन अध्ययन करते है तो यह पाते है की कृषि कार्य से सम्बन्धित निर्णय की बात करें तो हम पाते है की संयुक्त परिवार में पुरुष वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है । जिसकी वजह से कृषि सम्बन्धित निर्णय पुरुषों के द्वारा अधिक से अधिक लिए जाते है तथा जिसकी वजह से महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार कम होता है वही नाभिक परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण महिलाओं से परामर्श एवं निर्णय लेने का अधिकार अधिक देखने को मिलता है वही अशिक्षित अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में जो महिलाएं शिक्षित है भले ही उनकी उम्र कम हो लेकिन उनसे कृषि सम्बन्धित परामर्श एवं निर्णय अधिक लिए जाते है। यदि फसल की रखरखाव की बात करें तो महिलाओं के परामर्श को पुरुषों की तुलना में अधिक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यदि हम भूमि के आकर के आधार पर महिलाओं की भागीदारी एवं निर्णय की बात करें तो हम देख पाते है की जिन कृषकों के पास भूमि एक या दो हेक्टेयर भूमि ही होती है वहाँ पर महिलाओं की सहभागिता तथा निर्णय लेने का अधिकार अधिक पाया जाता है।वही अधिक अथवा भूमिहीन कृषक

परिवारों में महिलाओं की सहभागिता एवं कृषि सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार काफी कम पाया जाता है

भारतीय ग्रामीण समाज की महिलाएँ घरेलू कार्यों के अलावा कृषि कार्यों में मुख्य योगदान देती है । वे लघु कुटीर उद्योगों में भी भागीदारी करती है जैसा की हम जानते है की कृषि कार्य में रोजगार वर्ष भर नहीं मिल पाता है जिस की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों में पुरुष वर्ग के कृषक तो रोजगार के लिए शहरों में चले जाते है वही महिला कृषकों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है । इस बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए महिलाएँ छोटे–मोटे लघु उद्योगों को करती है ताकि कुछ आमदनी प्राप्त की जा सकें और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाया जा सके आधुनिकीकरण के आने की वजह से आधुनिक मशीनों के निर्माण की वजह से अब बेरोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है ।क्योंकि अत्यधिक कुशल मशीनों के आने से लघु कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण हो गया है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के अधिकतर रोजगार समाप्त हो गया है जिसका नकारात्मक प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक –आर्थिक प्रस्थिति पर देखने को मिलता है जो महिलाओं के उन्नति में बाधक साबित होता प्रतीत हो रहा है ।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध कार्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले पर आधारित है । सोनभद्र जिला पहले मिर्जापुर जिले का ही एक भाग था जिसका विस्तार क्षेत्र काफी बड़ा था जिसके चलते इसका विभाजन 4 मार्च 1989 में किया गया और सोनभद्र जिले की स्थापना हुई । यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जिसके अंतर्गत चार तहसील एवं दस ब्लॉक है सोनभद्र जिले का नाम सोन नदी के नाम पर पड़ा है । सोनभद्र जिला एक मात्र जिला है । जिसकी सीमा बिहार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ से मिलती है सोनभद्र जिले की कुल जनसंख्या(2011 की जनगणना के अनुसार)1862559 है । जिसका जन घनत्व 270 प्रति व्यक्ति है सोनभद्र जिला अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य जिला है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि कार्य से जुड़े है जिनके जीवन का आधार कृषि है यहाँ की कृषि का अधिकांश भाग वर्षा पर आधारित है यहां के किसान टमाटर ,मिर्च ,धान ,गेहूँ ,सरसों की खेती बहुताय मात्र में करते है ।

अध्ययन के उद्देश्य

1 यकृषि में महिलाओं की भागीदारीता का अध्ययन ।

2 :ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के वार्षिक आय के साधन ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है गुणात्मक एवं गणनात्मक विधि का उपयोग करके आँकड़ों का संकलन किया गया है प्राथमिक तथ्यों के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची अवलोकन का प्रयोग किया गया है । द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत पुस्तकों पत्रिकाओं लेख इत्यादि का प्रयोग इस लेख में किया गया है । स्तरीकृत दैवनिदर्शन विधि का उपयोग किया गया है यह शोध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कर्मा ब्लॉक के पांच गाँवों के महिला किसानों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है ।

सारणी –1 : ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के आय का साधन

	आय का साधन	प्रतिशत
1	कृषि कार्य	46
2	पशुपालन	6
3	कृषि मजदूरी	12
4	अन्य व्यवसाय	8
5	उपयुक्त सभी	28
6	कुल	100

(स्रोत 2023 –24 क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त)

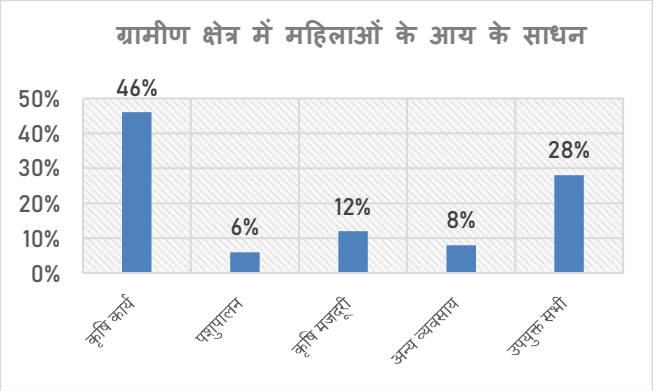

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है की कुल 100 ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 46: महिलाओं ने बताया की उनके आय का साधन कृषि है वही 6: महिला उत्तरदाताओं ने बताया की पशुपालन उनके आय का मुख्य साधन है इसके अलावा 8: महिला उत्तरदाताओं ने बताया है की अन्य व्यवसाय उनके आय का मुख्य साधन है और 28 :उत्तरदाताओं का मानना है की उपयुक्त सभी माध्यम उनके आय के साधन है ।अतः दिये हुए आंकड़ों से स्पष्ट होता है की सबसे ज्यादा महिलाएँ ऐसी है जिन के आय का मुख्य साधन कृषि कार्य है वही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सबसे कम आय का साधन पशुपालन से प्राप्त होता है ।

सारणी –2 : कृषि कार्य में महिलाओं की सहभागिता

कृषि में महिलाओं की सहभागिता	प्रतिशत
फसलों की कटाई में सहभागिता	16
कृषि उपज का भंडारण	28
कृषि उपज की बिक्री में	2
उपरोक्त सभी	54
कुल	100

(स्रोत 2023 –24 क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त)

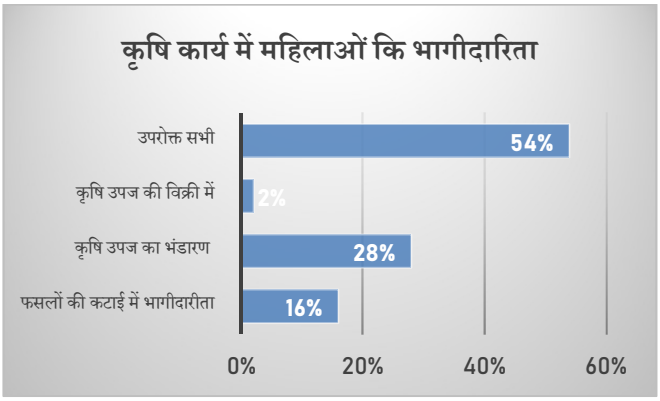

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है की कुल 100 ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है । फसल कि कटाई में 16: प्रतिशत महिला ऐसी है जो केवल फसल कि कटाई में भागीदारिता करती है । वही 28 प्रतिशत महिला ऐसी है जो कृषि उपज का भंडारण करती है तथा 2 प्रतिशत महिला ऐसी है जो कि केवल फसल उपज की बिक्री में भागीदार होती है और 54: प्रतिशत महिला सूचना दाताओं का मानना तथा की वह कृषि सम्बन्धित उपरोक्त सभी कार्यों को करती है । अतः प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र कि ज्यादातर महिलाएँ सभी प्रकार के कृषि कार्य में सहभागी होती है तथा उनकी सबसे कम सहभागिता कृषि उपज कि बिक्री में होती है ।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के आय के प्रमुख साधन कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य होते है जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन ,मत्स्य पालन के द्वारा ही महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ कृषि से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य को करती है लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो आज भी स्वामित्व का अधिकार पुरुषों के पास ज्यादातर देखा जा सकता है ।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में कृषि के अलावा कुटीर लघु उद्योगों में सहभागिता करती है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि में मौसमी बेरोजगारी की समस्या से निजात पाया जारहा है ।सरकारी कृषि प्रशिक्षण सम्बन्धित योजनाओं का लाभ महिला किसानों को प्राप्त नहीं हो पाता है जिस वजह से महिला कृषक पुरुषों की तुलना में कम प्रशिक्षित होती है जिसके परिणाम स्वरूप उनके सलाह को प्राथमिकता नहीं मिलती है ।

आज भी ग्रामीण समाज में पुरुष प्रधान व्यवस्था विद्यमान है। जिसकी वजह से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं प्राप्त है जो कि प्रगतिशील समाज के लिए चिंता का विषय है आधुनिकीकरण के आने से कृषि व्यवस्था में सुधार तो आया है लेकिन जीतना अनुमान लगाया जारहा था उतना सुधार कृषि के क्षेत्र में नहीं देख ने को मिल रहा है ।

पुरुषों की तुलना में कृषि कार्य में महिलाओं के परामर्श को कम महत्व दिया जाता है जो महिलाओं की सहभागिता के साथ भेद भाव का सूचक है । ग्रामीण कृषक महिलाएँ कृषि कार्य को करने के अलावा घरेलू कार्य जैसे पशुओं के आवास की सफाई तथा मुर्गि पालन और मत्स्य पालन जैसे कार्यों को करती है ।

REFERENCES

मण्डल, एम. (2013), पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप मे, कृषि क्षेत्र मे, ग्रामीण महिलाओ, की भूमिका, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरि,ग एण्ड साइंस,* खंड **2(2),** पृष्ठ 81–86,

मुकथा, जी. एम., किरोंगो, ए., हुका, जी. एस., और बुंडी, डी. जी. (2019), *जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज ए,ड सोशल साइंस,* **24**, अंक **6,** श्रृ,खला 7,

किशोर, आर., गुप्ता, बी., यादव, एस. आर., और सि,ह, टी. आर. (1999), उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले मे, कृषि मे, निर्णय लेने की प्रक्रिया मे, ग्रामीण महिलाओ, की भूमिका, *इण्डियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स,* खंड **54(3),** पृष्ठ 282–286,

हीरवे, इ., और रॉय, ए. के. (1999), ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे, महिलाएँः भारत का एक मामला, *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स,* ख,ड **54(3),** पृष्ठ 251–271,

पत्र, एम., समल, पी., और पांडा, ए. के. (2018), भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए बाधाएँ और अवसर, *जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकैमिस्ट्री,* खंड **7(5),** पृष्ठ 2092–2096,

राव, एस. (2011), कार्य और सशक्तिकरणः दक्षिण भारत मे, महिलाएँ और कृषि, *द जर्नल ऑफ डेवलपमे,ट स्टडीज,* खंड **47(2),** पृष्ठ 294–315,

डॉस, सी. आर. (2011), कृषि मे, महिलाओ, की भूमिका,, टीम द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज,

गोविल, आर., और राणा, जी. (2017), महिला किसानो, के बीच कृषि सूचना की माँगः कर्नाटक, भारत से एक सर्वेक्षण, *रिव्यू ऑफ एग्रेरियन स्टडीज,* खंड **7**(**1**),

गौतम, यू. एस., सिंह, ए., और सिंह, एस. आर. के. (2012), कृषि में महिलाओं की सहभागितात्मक भूमिकाः विजन 2025 *इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन,* खंड **1**, पृष्ठ 38–42।